इकाई 19 शब्द और मुहावरे

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 शब्दों का महत्व

19.3 भाषा के सामाजिक स्तर भेद

19.4 शब्दों के विभिन्न स्रोत (शब्द-भंडार)

19.5 शब्दों का अर्थ पक्ष

19.6 शब्द निर्माण

19.7 शब्द रचना

19.8 मुहावरे और लोकोक्तियाँ

19.9 सारांश

19.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

19.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

19.0 उद्देश्य

अब तक आपने आधार पाठ्यक्रम के पहले खंड की आरंभिक दो इकाइयों में हिंदी भाषा की लिपि-वर्तनी तथा ध्वनि के बारे में पढ़ा है। अब आप चौथे खंड की 19वीं तथा 20वीं इकाइयों में हिंदी भाषा के व्यावहारिक पक्षों की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत इकाई हिंदी भाषा के शब्द और मुहावरों से संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी भाषा में शब्द के प्रयोग और महत्व को बता सकेंगे;
- शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानकर उनका सही प्रयोग करना सीख सकेंगे;
- शब्दों की रचना सीखेंगे; और
- मुहावरों और कहावतों के प्रयोग एवं महत्व को जानकर उनका भाषा में सही प्रयोग करना सीखेंगे।

19.1 प्रस्तावना

आप जानते ही हैं कि भाषा में शब्द का कितना महत्व है। शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी बात कहते हैं। शब्दों का इतिहास बहुत रोचक है। शब्दों का अपना अर्थ होता है। शब्दों से बने वाक्यों का भी अपना अर्थ होता है। वाक्य के अर्थ को आप सही ढंग से तभी समझ पाएँगे, जब शब्दों का वाक्य की संरचना में सही प्रयोग किया गया हो।

इस इकाई में हम शब्द उसकी रचना और अर्थ की चर्चा करेंगे। अगली इकाई में हम वाक्य की रचना के संदर्भ में वाक्य के अर्थ की विशेषताओं की चर्चा करेंगे।

शब्द ध्वनियों से बनते हैं किंतु इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग द्वारा भी हम अपनी बात कहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा की शब्दावली में उनकी परिस्थिति एवं वर्गीय

हैसियत के अनुसार भिन्नता होती है। जैसे एक डाक्टर और एक मजदूर की भाषा में जो अंतर होता है, उसे आप सहज ही पहचान सकते हैं।

आप शब्दों के स्रोत की जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि भाषा में शब्दों का इतना बड़ा भंडार कहाँ से जमा होता जाता है। संस्कृत और प्रांतीय भाषाओं की शब्दावली के अलावा हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी शब्दों ने भी अपनी जगह बना ली है। इसके अतिरिक्त नित नये शब्दों की रचना भी होती रहती है। जरूरत पड़ने पर हम नये-नये शब्द गढ़ते हैं— कभी संस्कृत से और कभी दूसरे स्रोतों से सहारा लेकर।

शब्दों के अलावा इस इकाई में आपको हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आपस में बातचीत करते हुए आप अनजाने ही कई मुहावरों और लोकोक्तियों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी भाषा की सुंदरता और महत्ता ही नहीं बढ़ती, उसकी प्रभावक्षमता का भी विस्तार होता है। मुहावरे वास्तव में क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? भाषा में इनका क्या महत्व है तथा लोकोक्तियों एवं मुहावरों में क्या अंतर है? यह सब इस इकाई के विवेचित बिंदु हैं। इस इकाई में दिए गए अभ्यासों के लिए आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। आइए, अब शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

19.2 शब्दों का महत्व

भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है। लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। जैसे अ, क, त आदि ध्वनियाँ सार्थक नहीं है, अर्थात् इनसे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। भाषा के अर्थ का वाहक 'शब्द' है, जो ध्वनियों से बनता है। जैसे 'आम' शब्द कहने पर हमारे मन में एक वस्तु का बोध होगा। आम शब्द में 'आ' और 'म' दो ध्वनियाँ हैं। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज-सापेक्ष होते हैं, अर्थात् 'आम' कहने पर हिंदी भाषी एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं लेकिन इस शब्द का चीनी भाषी या इतालवी भाषी के लिए यही अर्थ हो, यह आवश्यक नहीं है। उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा जो उनकी भाषा की ध्वनियों से निर्मित होगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक समाज के सभी लोग, जो एक भाषा बोलते हों, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं और वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और उनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं।

अतः भाषा के शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है — अर्थयुक्त होना। ऊपर हमने चर्चा की है कि 'आम' शब्द का अपना अर्थ है, जो हिंदी भाषी समाज में जाना जाता है। लेकिन यह अर्थ इस शब्द में कहाँ से आया? क्या लाभ या ताम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है ? जिस फल को हम आम कहते हैं क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इन ध्वनियों का संबंध है ? शायद नहीं। क्योंकि हमने खुद कहा था कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ-ज्ञात करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। जिस फल को हिंदी में 'आम' कहा जाता है, उसे तमिल में 'मांगाई' और अंग्रेजी में 'मैंगो' कहा जाता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है। यह संबंध स्वाभाविक नहीं होता बल्कि समाज द्वारा आरोपित होता है। वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छिकता कहते हैं। यादृच्छिकता का तात्पर्य है इच्छानुकूल आरोपित अर्थ। यह भी देखा जा सकता है कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता है। जैसे संस्कृत में 'मृग' शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता था, सिर्फ़ हिरन के लिए नहीं। लेकिन आज हम लोग 'मृग' का अर्थ 'हिरन' लेते हैं। इस बात को आप 'मृगराज' शब्द से समझ सकते हैं, जहाँ सिंह को पशुओं का राजा कहा गया। इसी तरह से शिकार के लिए 'मृगया' शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 'मृगया' का तात्पर्य केवल हिरन का शिकार नहीं, सभी जंगली जानवरों का शिकार है।

प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। जैसे 'आम' शब्द फल का अर्थ सूचित करता है, 'मेज' शब्द एक विशेष वस्तु का अर्थ सूचित करता है, अर्थात् वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों से उन वस्तुओं के अर्थ बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन भाषा में हम हमेशा वस्तुओं के लिए ही शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम लोग गूढ़ विचारों को भी शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे 'स्वतंत्रता' शब्द हम लोगों के लिए बहुत परिचित-सा लगता है लेकिन एक छोटा बच्चा इस अर्थ को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए राष्ट्रीयता अभिव्यक्ति, स्वच्छंदता, उद्दंडता आदि शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना कठिन कार्य है। जब व्यक्ति बड़ा होता है और शिक्षित होता चलता है तो वह ऐसे विचारों को समझ कर इन शब्दों के माध्यम से उसे ग्रहण करता चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े-लिखे लोग ही गूढ़ या सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में कई सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करता है और अपनी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करता है। अतः शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए परम्परागत शिक्षा कोई अनिवार्यता नहीं है। कबीर जैसे अनेक महापुरुष इसके प्रमाण हैं। अक्षर ज्ञान और परंपरागत शिक्षा से वंचित कबीरदास ने सामाजिक व्यवहार और अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर दर्शन और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति का भी साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति की शिक्षा हमें अपने समाज से मिलती है और समाज को यह अभिव्यक्ति पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है। इसी को हम उस समाज की वैचारिकता कहते हैं। जब हमलोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं तो उसके साथ ही उसकी वैचारिकता को भी अर्जित करते हैं। अतः भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों की अभिव्यक्ति की वाटिका भी होती है। अतः यह हमारे लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत है।

19.3 भाषा के सामाजिक स्तर भेद

अब तक हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की, उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया है और न ही प्रयोग के स्तर पर शब्दों के महत्व की बात की है। आपने देखा होगा कि दो बचपन के दोस्त बात-बात में 'साले', 'अबे' आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा (स्कूल, दफ्तर आदि) में भाषा भिन्न होती है। हम भाषा के, विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं — औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन सभा-सोसायटी, कार्यालयों, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा की भाषा औपचारिक होती है, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसायों के लोगों की अपनी भाषा होती है, जिसकी शब्दावली व्यवसाय विशेष से जुड़ी होती है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि में हम शब्दों के प्रयोग के अंतर की पहचान कर सकते हैं।

सामाजिक स्तर भेद के संदर्भ में हम भाषा और उसमें प्रयुक्त शब्दों के कुछ विशिष्ट रूपों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों की बोली मिश्रित भाषा-प्रयोग उनके शैक्षिक स्तर का परिचायक है। कुछ लोग अवभाषा (slang) का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपाकर अपनी बात कहने के उद्देश्य से गुप्त भाषा (argot) का प्रयोग करते हैं। इसकी शब्दावली सामान्य भाषा से भिन्न होती है।

उदात्त कथन

क्या हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर यह कह सकते हैं कि 'मेरे पिता जी/चाचा/ मामा/ बहनोई मर गए'? सहज अर्थ होते हुए भी यह साधु (अच्छा) प्रयोग नहीं है। मृत व्यक्ति

के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक सुसंस्कृत शब्दों में कहते हैं - वे दिवंगत हो गए/ वे स्वर्गवासी हो गए/ उनका देहावसन हो गया आदि। इस प्रवृत्ति को क्या कहें? भाषा विज्ञान में इसे उदात्त कथन (euphemism) कहा जाता है। इसी तरह विधवा होने के लिए 'माँग का सिंदूर पुँछना', 'सुहाग उजड़ना' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दों से भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे मृत्यु, वैधव्य आदि अशुभ और अप्रिय स्थितियों की शिष्ट एवं उदात्त अभिव्यक्ति होती है।

आदमी अमंगलकारी घटनाओं तथा उनके वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है। इन शब्दों को वह अपनी जुबान पर लाने से ही कतराता है। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में आते हैं, जिनसे अमंगल का भाव कम हो सके। कुछ उदाहरण देखिए :

सामान्य शब्द	**उदात्त शब्द**
साँप	कीड़ा
चेचक	माता, शीतला
मौत	देहांत, निधन

ऐसे शब्दों के संदर्भ में, भाषा के शब्दों के अर्थ परिवर्तन भी देखने में आते हैं। आमतौर पर महिलाओं की काँच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन इसे 'चूड़ी टूटना' नहीं कहते, (क्योंकि यह भी वैधव्य की आशंका के संदर्भ में मंगलकारक नहीं है), बल्कि 'चूड़ी मौल जाना' कहते हैं। इसी तरह 'दुकान बंद करना' नहीं, 'दुकान बढ़ाना' उदात्त कथन है, 'बत्ती बुझाना' नहीं 'बत्ती बढ़ाना' उपयुक्त शब्द है।

उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए ही नहीं, अभद्रता दूर कर शिष्टता लाने के लिए भी किया जाता है। सभ्य समाज में बैठे हुए, हम यह नहीं कहते कि 'हम पेशाब करने जा रहे हैं'। संकेत से 'बाथरूम' का रास्ता पूछ लेते हैं या संकेत से कहते हैं कि हमें 'लघु शंका' के लिए जाना है। बच्चों के संदर्भ में भी हम इसी बात का अन्य ढंग से विवरण देते हैं— 'बच्चे ने गीला कर लिया'। रोचक बात यह है कि उदात्त कथन भी अधिक चलन में आकर अशोभनीय बन जाता है। 'पाखाना' शब्द का अर्थ 'पैर रखने की जगह' था। लेकिन यह शब्द भी अब अभद्र हो गया। 'टट्टी' शब्द मूलतः खपच्चियों से बनी एक आड़ को सूचित करता था। 'टट्टी जाना' का अर्थ था टट्टी की आड़ में निवृत्ति के लिए जाना। लेकिन अब यह शब्द भी अशोभनीय हो गया है। इसी तरह शरीर के अंगों के लिए हम उदात्त शब्दों या विज्ञान के शिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कम अशोभनीय हैं।

बोध प्रश्न– 1

निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे खाली स्थान पर संक्षिप्त उत्तर दें। कुछ बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर इकाई के अंत में दिए गए हैं। अपने उत्तरों का उनसे मिलान कीजिए।

1. शब्दों के अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं?

.....

.....

.....

2. भाषा के सामाजिक स्तर भेद से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

अभ्यास– 1

नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों के सामने दिए गए कोष्ठकों में इनके लिए अपने प्रांत में प्रयुक्त होने वाले उदात्त कथन लिखिए -

क) मर जाना ( )

ख) चेचक निकलना ( )

ग) पाखाना करना ( )

घ) चूल्हा बुझाना ( )

19.4 शब्दों के विभिन्न स्रोत (शब्द-भंडार)

भाषा में जो शब्द हैं, वे आखिर कैसे बने हैं और कहाँ से आए हैं? इसकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। कुछ शब्द हिंदी भाषी समाज ने व्यावहार द्वारा विकसित किए हैं। यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी-फारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई है। अंग्रेजों के शासन के समय इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आए हैं। जिस तरह एक नदी में विभिन्न स्रोतों से जल आकर मिलता है और नदी का विस्तार होता है, उसी तरह विभिन्न स्रोतों से आने वाले शब्द भाषा को समृद्ध करते हैं। आगे हम हिंदी भाषा के शब्द-भंडार के स्रोतों की चर्चा करेंगे।

स्रोतों के आधार पर हिदी के शब्दों के चार प्रमुख वर्ग हैं— तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी।

तत्सम : 'तत्' का अर्थ है 'वह', 'सम' माने 'जैसा ही'। अर्थात् संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में लिए गए शब्द। जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं वे तत्सम शब्द हैं। अर्थात् संस्कृत के समान शब्द। बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल आदि संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत् नहीं लिए गए हैं बल्कि उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन भी हो गया है। संस्कृत शब्द बालकः का विसर्ग हट गया, पुस्तकम् शब्द का म् छोड़ दिया गया। अर्थात् तत्सम शब्द मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद ही हिंदी में स्वीकार किए गए। छोड़े गए चिह्न संस्कृत के शब्दों के वचन या लिंग के सूचक हैं। हिंदी में वचन तथा लिंग के सूचक चिह्न दूसरे हैं, इसलिए ये चिह्न हिंदी में छोड़ दिए गए।

तद्भव : 'तत्' का अर्थ है 'वह', 'भव' का 'उत्पन्न'। अर्थात् ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के हैं, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं। जैसे— कर्म > काम, हस्त > हाथ।

संस्कृत भाषा के बाद उससे क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएँ विकसित हुईं और अपभ्रंश से हिंदी बंगला आदि आधुनिक भाषाएँ बनीं। इन भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप भी बदल गए। हिंदी 'सच' संस्कृत 'सत्य' से बना है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे हुआ। परिवर्तन के क्रम को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं :

संस्कृत	**पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में परिवर्तन का क्रम**	**हिंदी**
सत्य	सत्त-सच्च	सच

इस प्रकार बदले हुए शब्दों को ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अगले पृष्ठ

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
सूर्य	सूरज	संध्या	साँझ
चंद्र	चाँद	कर्पट	कपड़ा
वर्ष	बरस	वृद्ध	बूढ़ा
सर्प	साँप	मयूर	मोर
आम्र	आम	हस्त	हाथ

कुछ विद्वानों ने तत्सम और तद्भव के साथ ही संस्कृत से अलग शब्दों का एक अर्ध-तत्सम वर्ग भी स्वीकार किया है। जैसे— 'करम', 'धरम', 'चन्दर' आदि। लेकिन इन्हें भी तद्भव वर्ग में ही स्वीकार करना उचित है।

देशज : (देश + ज 'पैदा हुआ') देशज वे शब्द हैं, जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है। ये न संस्कृत मूल के हैं, न किसी बाहरी या विदेशी भाषा से आए हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा-भाषी समाज में ही प्रारंभ हुआ, अर्थात् ये सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। हिंदी के कई बहुप्रचलित शब्द जैसे— पेड़, लड़का, खिड़की आदि देशज शब्द हैं।

बाहरी शब्द : ये शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए तीन उपवर्गों में विभक्त किया जा सकता है:

i) **आर्य परिवार की भाषाओं से आए शब्द :**

मराठी - चालू, लागू

बंगला - गल्प

ii) **भारत के अन्य भाषा परिवारों से आए शब्द :**

द्रविड - मीन (प्राचीन), इडली, सांबर (आधुनिक)

मुंडा - कोड़ी (20 की संख्या)

iii) **विदेशी भाषाओं से आए शब्द**

इस वर्ग में हजारों शब्द हैं । अंग्रेजी से - साइकिल, रेल, टिकट, स्टैंप, पुलिस, निब, स्टोव, टेलीफोन, फोटो आदि। भारत में इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा का विकास हुआ, जिससे हजारों अरबी और फारसी के शब्दों का हिंदी में आगमन हुआ। मुगल तुर्क थे। इस कारण हिंदी में तुर्की के भी बहुत से शब्द आए। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं—

अरबी : औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, सलाम, कस्बा, किला, बगावत, दफ्तर, अखबार, हिरासत आदि।

फारसी : खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, सिफारिश, अंगूर, आबाद, आस्तीन, गुलाब, चपाती, जंजीर, दरी, नमक, नाश्ता, पर्दा, प्याला आदि।

तुर्की : तोप, तमगा, दारोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, लाश आदि।

फ्रांसीसी या जापानी आदि भाषा के शब्द अंग्रेजी के माध्यम से आए, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से इन भाषाओं का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के आने से पहले भारत के कुछ क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था। हिंदी में पुर्तगाली के भी कई शब्द हैं, जो या तो सीधे हिंदी में आए हैं या अन्य भारतीय भाषाओं से होकर। जैसे—

1) फ्रांसीसी : रेस्तरां, कूपन, अंग्रेजी, कारतूस

2) जापानी : रिक्शा

3) पुर्तगाली : गिर्जा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया आदि।

विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है।

आज भी हम नए विचारों को मूल शब्द के साथ ग्रहण करते हैं। इससे भाषा समृद्ध होती है, जीवंत रहती है। ऐसे नए शब्द हैं, स्पुतनिक, साफ्टवेयर।

अभ्यास– 2

नीचे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं। इन के तत्सम रूप लिखिए। इसके लिए आप शब्दकोश की सहायता भी ले सकते हैं।

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
आग		खेत	
आठ		लोग	
बात		जीभ	
सोना		बूढ़ा	
जग		दूध	

अभ्यास– 3

नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इनके सामने कोष्ठक में उस भाषा का नाम लिखिए। जिससे ये शब्द हिंदी भाषा में आए हैं। इसके लिए आप शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं।

ओषधि	(	)	चाकू	(	)
चर्च	(	)	बहादुर	(	)
कालीन	(	)	दर्शन	(	)
शराब	(	)	संगीत	(	)
हवालात	(	)	डमरू	(	)

19.5 शब्दों का अर्थ पक्ष

शब्द भाषा में अर्थ के वाहक हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित अर्थ को प्रकट करते हैं। लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और म्यान की तरह नहीं है। अर्थात् यह नहीं है कि हर शब्द का एक ही अर्थ हो। कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कहीं दो तीन शब्दों का एक अर्थ। अर्थ विज्ञान में हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित पाँच प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं -

i) **समरूपी शब्द** (homonym) : कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे :

पर — पंख, लेकिन, ऊपर

कल — दूसरा दिन, मशीन, चैन

इसका प्रमुख कारण है भिन्न-भिन्न स्रोतों या प्रकारों से आने या बनने वाले शब्दों का एक जैसा लगना या लिखा जाना। इस बात को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है—

मेल (हिंदी 'मिलना' क्रिया से) - मित्रता

मेल (अंग्रेजी mail का हिंदी रूप) - मेल गाड़ी

बरस (संस्कृत वर्ष से) - साल

आम - (संस्कृत आम्र से) - एक फल

आम (अरबी से) - साधारण, सामान्य

ii) **पर्याय** (synonym) : जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, तो वे पर्याय कहलाते हैं। व्याकरण में इन शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं।

कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए -

सूरज : (सूर्य), भानु, रवि, दिवाकर, आफताब

चंद्र : चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर

कमल : पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, अंबुज, सरोरुह, सरसिज

क्या कारण है कि एक ही वस्तु के लिए इतने सारे शब्द हैं ? क्या हम इन सारे शब्दों का समान रूप से कहीं प्रयोग कर सकते हैं ?

कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा में वास्तव में पर्याय होते ही नहीं। हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। हम 'सूरज डूब गया' कहेंगे, 'दिवाकर डूब गया' नहीं। बोलचाल में हम इनमें से प्रायः किसी एक शब्द को ही अपने व्यवहार के लिए लेते हैं। शेष शब्द शैलीगत हैं (उर्दू बोलने वाला आफताब कहेगा) या साहित्यिक है। साहित्यकार इन शब्दों का अपनी रचना के सौंदर्य के लिए प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में सूर्य, सूरज दोनों ही सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। वक्ता ही इनमें से अपने व्यवहार का शब्द चुन लेते हैं। कोई सामान्यतः सूरज कहता है, कोई हमेशा सूर्य बोलता है। एक व्यक्ति के लिए दोनों पर्याय नहीं होते। कहीं-कहीं भाषा में दो-तीन शब्द समान अर्थ में आते हैं। फिर भी उनके प्रयोगों में साफ बँटवारा दिखायी पड़ता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द पूरक (complementary) होते हैं। उदाहरण के लिए 'घर', 'गृह' दोनों पर्याय हैं, लेकिन इनके प्रयोग अलग-अलग हैं। आगे के कुछ प्रयोग देखिए, जिनमें 'घर' के स्थान पर 'गृह' का या इससे विपरीत क्रम में इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे 'गृह प्रवेश' को 'घर प्रवेश' या 'घर बसाना' को 'गृह बसाना' नहीं कहते हैं। ये प्रयोग हैं - घर जाना, बात मन में घर कर जाना, घर उजड़ना, घर छोड़ देना, गृह-कलह, गृह-लाभ, गृह-त्याग आदि।

शैली की दृष्टि से भी पर्यायों का विशेष महत्व है। उर्दू शैली में हम 'सूरत' की तुलना 'मेहताब' से करेंगे और हिंदी में मुख को चंद्र के समान कहेंगे। शैली की इस विशेषता के संदर्भ में आगे सह प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

iii) **विलोम (antonym)** : जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द पर्याय कहे जाते हैं, उसी तरह विपरीत (विरोधी) अर्थ वाले शब्द विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। छोटा-बड़ा, ठंडा-गरम, अच्छा-बुरा, गरीब-अमीर आदि कुछ विलोमार्थी शब्द हैं।

क्या खट्टा-मीठा, लाल-हरा, भी विलोमार्थी शब्द हैं ? यहाँ वास्तव में विलोम की स्थिति नहीं है। ये अलग-अलग स्वाद सूचित करने वाले कुछ शब्द हैं, जिनमें हर शब्द दूसरे का पूरक है, विरोधी नहीं है। इसी तरह रंगों के सभी शब्द एक समुच्चय (set) के रूप में आते हैं। लाल, पीला, हरा आदि शब्दों का अपना-अपना अर्थ क्षेत्र है। लेकिन 'लाल', 'हरा' का विलोम नहीं है।

कुछ लोग पति-पत्नी आदि शब्दों को भी विलोम कहते हैं। ये दोनों शब्द पति-पत्नी के परस्पर संबंध को सूचित करते हैं। अगर 'क' 'ख' का पति है, तो 'ख' 'क' की पत्नी। इन्हें हम द्वंद्ववाचक शब्द कह सकते हैं।

आगे आरेखों से तीनों तरह के संबंध को स्पष्ट किया गया है।

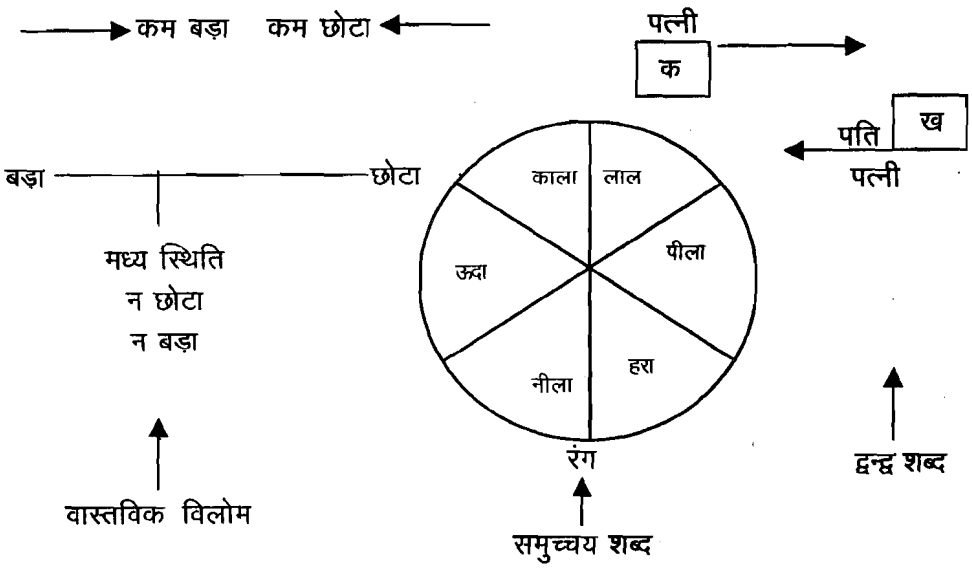

iv) **अनेकार्थी शब्द** (polysemy) : भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। आपने शब्दकोशों में देखा होगा कि एक शब्द के आगे कई अर्थ दिए हुए होते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लें :

बात– मामला (क्या बात हुई), उक्ति (उसने एक बात बतायी), बातचीत (दोनों बातें करते जा रहे थे), चर्चा का विषय (बात यह है कि .....) झगड़ा (बात बढ़ गई)

अनेकार्थ को समझना आसान नहीं है। पहले हमें समरूपी शब्द और अनेकार्थी शब्द में अंतर करना होगा। फिर उसके संबद्ध अर्थों को उचित संदर्भ में निश्चित करना होगा।

हाथ, आँख आदि मनुष्यों (और जीवित प्राणियों) के अंग हैं। लेकिन 'कानून के हाथ', 'सुई की आँखें' जैसे प्रयोगों से हमें उनकी अनेकार्थता की प्रकृति का स्पष्ट रूप से पता चलता है। विद्वान इन्हें मुहावरेदार प्रयोग कहते हैं। मुहावरा भी अनेकार्थता का एक रूप है। मुहावरेदार प्रयोगों के बारे में हम इसी इकाई में आगे पढ़ेंगे। व्याकरण में इन्हें लक्ष्यार्थ कहा जाता है। (देखिए उपभाग 19.8)

अनेकार्थता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है - अर्थ का विस्तार। आधुनिक युग में नए-नए विचारों को व्यक्त करने के लिए हम पुराने शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ विस्तार करते हैं। अब हम टेलीविजन के 'पर्दे' की बात करते हैं। इसी तरह घड़ी की 'सुई', चाँदी का 'गिलास', शेयर 'बाजार' आदि नए शब्द हैं, जो भाषा के विकास को दर्शाते हैं।

v) **सहप्रयोग** (Collocation) : हम जानते हैं कि शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 'हत्या' कहने पर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सज़ा आदि शब्द ध्यान में आते हैं। रेगिस्तान से गरमी, ऊँट नखलिस्तान (Oasis) आदि शब्द जुड़े हुए हैं। इनमें एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहप्रयोग करने वाले अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य समक्षेत्रीय-सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है।

सहप्रयोग का शैली की दृष्टि से भी महत्व है। हम आमतौर पर 'शमा' और 'परवाना' की एक साथ बात करेंगे, 'दिया' और 'परवाना' या 'शमा' और 'कीट' की नहीं। सामान्य

बोलचाल में 'हाथ का काम' कहेंगे (हस्त की कला नहीं), साहित्यिक या पारिभाषिक अर्थों में 'हस्तकला' (हाथ की कला नहीं), 'हृदयगति' (दिल की गति नहीं), 'कुटीर उद्योग' (झोपड़ी उद्योग नहीं), 'विद्युत ऊर्जा' (बिजली ऊर्जा नहीं) आदि प्रयोग में शब्द बदलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बदलने पर भाषा में शैलीगत दोष आ जाता है।

भाषा के सही प्रयोग के लिए आवश्यक है कि हम सहप्रयोग के दोषों से बचे। अपनी शब्दावली के विस्तार के लिए चाहिए कि हम शब्दों के सहप्रयोगों का अभ्यास करें और संबद्ध शब्दों का सावधानी से प्रयोग करें।

अभ्यास– 4

1. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो अर्थ हैं। इनका स्रोत पहचानिए और दोनों अर्थों को लिखिए। स्रोत के लिए शब्दकोश देख सकते हैं।

	आला	बिल	बाल	बजा	ताल	पाक
क)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ख)	.....	.....	.....	.....	.....	.....

अभ्यास– 5

नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इन के तीन-तीन पर्याय लिखिए।

कमल

तालाब

रात

बादल

समुद्र

19.6 शब्द निर्माण

भाषा के शब्द बनते कैसे हैं? हम अधिक शब्द कैसे बना पाते हैं? भाषा के अपने शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आते हैं। सामाजिक व्यवहार में शब्दों की रचना में काट-छाँट होती रहती है, शब्दों को नये-नये अर्थ मिलते रहते हैं। कुछ पुराने शब्द छूट जाते हैं, कुछ नये शब्द व्यवहार में आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो भाषा एक सामाजिक संपदा है। शब्दों का विकास सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें प्रयुक्त शब्दों का निर्माण व्याकरण के नियमों के अनुसार ही होता है। अतः शब्द-निर्माण की प्रक्रिया को समझने के पूर्व हमें शब्द की रचना पर विचार करना पड़ेगा।

भाषा के बहुत थोड़े-से शब्द अपने मूल में व्यवहृत होते हैं। भाषा उन मूल शब्दों से और कई नये शब्दों की सृष्टि करती है। जैसे 'बच्चा' मूल शब्द है, 'पन' अवस्था सूचित करने के लिए उससे व्युत्पन्न (derived) शब्द है। बच्चा + पन = बचपन। यहाँ 'पन' एक प्रत्यय है जो, अवस्था का अर्थ देता है। इस दृष्टि से प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं।

नया + पन = नयापन, बाँका + पन = बाँकपन

क्रिया रचना में 'कर' मूल शब्द है, किया, करता, करना, करेगा आदि क्रिया रूप व्युत्पन्न शब्द हैं। एक मूल क्रिया रूप (जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है) से सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। मूल शब्द में प्रत्ययों (suffixes) को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है।

क्या सहायता होने की अवस्था को हम 'सहायतापन' कह सकते हैं, या भूख होने की अवस्था को 'भूखापन' कह सकते हैं ? आप स्वयं ही जानते हैं कि ये दोनों शब्द सही नहीं है। अवस्था सूचित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर जगह 'पन' प्रत्यय लगाए जाएँ। 'पन' के साथ हिंदी में अवस्था सूचित करने के लिए 'पा (बुढ़ापा), 'ता' (मनुष्यता), 'त्व' (महत्व) आदि अन्य प्रत्यय भी हैं। एक भाषा-भाषी समुदाय ही निश्चित करता है कि कौन-से प्रत्यय किस मूल शब्द के साथ लगाए जाएंगे। इस प्रकार शब्द-निर्माण की यह प्रक्रिया समाज द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के प्रत्यय हैं - व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय वे हैं, जिससे हम अर्थ में विस्तार करते हैं। ऊपर हमने व्युत्पन्न प्रत्ययों की चर्चा की है। व्युत्पन्न प्रत्यय संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा आदि शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। जब हम व्युत्पन्न प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो कभी-कभी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 'बचपन' शब्द में - 'बच्चा' का बदला हुआ रूप देख सकते हैं। 'घुड़सवारी' में 'घोड़ा' शब्द का दूसरा रूप देख सकते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय से, वास्तव में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और इससे शब्दावली की वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का प्रत्यय है - रूपात्मक प्रत्यय। इसके उदाहरण के लिए दो वाक्य लीजिए -

1) लड़के आए।

2) लड़कों को बुलाओ।

'को' लगने के कारण लड़के का रूप लड़कों बन गया। यहाँ 'ओ' प्रत्यय है, लेकिन इस प्रत्यय से शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं।

क्रिया में लिंग, वचन आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रत्यय लगते हैं और उनके विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे : करता है, करती है, करते हैं, करती हैं आदि। इनसे हम लिंग, वचन आदि का व्याकरणिक अर्थ तो सूचित करते हैं लेकिन यहाँ कोई नया अर्थ नहीं जुड़ा है। कुछ भाषाएँ इस प्रकार का रूप परिवर्तन न कर एक ही क्रिया से सभी लिंग, वचन के भेद को प्रकट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में 'आई गो' (दोनों लिंगों में), 'यू गो' (दोनों लिंगों में) 'गो' क्रिया का समान रूप से प्रयोग हुआ है। इस उदाहरण में मूल क्रिया-रूप नहीं बदला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूपात्मक प्रत्यय कुछ व्याकरणिक अर्थ भले सूचित करते हों, लेकिन इनसे नए शब्दों का निर्माण नहीं होता।

प्रत्ययों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कुछ प्रत्यय शब्द के अंत में आते हैं जैसे : प, पन, त्व आदि। कुछ प्रत्यय शब्द के आरंभ में आते हैं जैसे अ + कारण, बे + रहम, ना + पसंद। यहाँ अ, बे, ना आदि विलोमार्थ सूचित करने वाले प्रत्यय हैं, जो शब्द से पहले आते हैं। व्याकरण में इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। कुछ विद्वान इन्हें पूर्व-प्रत्यय भी कहते हैं।

शब्द रचना के संदर्भ में हमने देखा कि मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने से हम नए शब्द निर्मित कर सकते हैं और एक भाषा-भाषी समुदाय इसी प्रक्रिया से नए शब्द गढ़ता है। आधुनिक युग में नए-नए विचारों को प्रकट करने के लिए हमें नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग शुरू किया तो राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय, राष्ट्रीयकरण आदि नए शब्दों की भी आवश्यकता पड़ी। यह काम अब योजनाबद्ध तरीके से नवगठित संस्थाओं द्वारा भी किया जाने लगा है, जिससे समन्वित रूप में सारे आवश्यक शब्द भाषा की प्रकृति, एकरूपता आदि को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जा सकें। हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था कार्य करती है, जिसका नाम है— 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग'। यह संस्था विविध विषयों के विद्वानों की सहायता से नए शब्दों का निर्माण करती है और शब्दकोशों के रूप में इन्हें प्रकाशित करती है। हिंदी में शब्द निर्माण के लिए हम ज्यादातर संस्कृत भाषा का सहारा लेते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्द बनाने की अपार क्षमता है। उदाहरण के तौर पर हम 'आयोग' शब्द ले सकते हैं। यह अंग्रेजी के 'कमीशन' का वाचक शब्द है। लेकिन इस अर्थ में यह संस्कृत में प्रचलित नहीं था। संस्कृत में योग, संयोग, नियोग आदि शब्द तो थे, लेकिन आयोग नहीं। हमने कमीशन के लिए आयोग शब्द का निर्माण किया और इस अर्थ में यह शब्द चल रहा

लिए भी हम संस्कृत भाषा का सहारा लेते हैं। आगे के शब्दों को देखिए :

कमिश्नर	आयुक्त
डिप्टी कमिश्नर	उपायुक्त
हाई कमिश्नर	उच्चायुक्त
हाई कमीशन	उच्चायोग आदि।

आयोग ने शब्दावली के निर्माण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिससे संस्कृत से ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी हिंदी के शब्द-भंडार में स्वीकृत किया जा सके। इस संदर्भ में आयोग ने घोषणा की है कि सबसे पहले प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया जाए, चाहे वे हिंदी के हों या अंग्रेजी के या उर्दू के। इस दृष्टि से मिसिल, मसौदा, वाइरस, प्रोटीन आदि शब्द हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं से प्रचलित शब्द लिए जाने का प्रावधान है। प्रचलित शब्द न मिलने पर संस्कृत के आधार पर अन्य शब्द निर्मित किए जाएँगे। यह भी प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथावत ले लिया जाए और हर नए शब्द के लिए शब्द गढ़ने पर जोर न दिया जाए। इस दृष्टि से अब हिंदी में न्यूट्रॉन, कार्बन, टरबाइन आदि शब्द मूल रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। शब्द लेने के संदर्भ में एक रोचक उदाहरण है— ऑक्सीजन। यद्यपि इसके लिए हमारे पास 'प्राणवायु' शब्द है, फिर भी इससे जुड़े हुए अन्य शब्द बनाने में यह उपयोगी नहीं लगा। इसलिए ऑक्सीजन को ही स्वीकृत कर लिया गया। ऑक्सीजन से हम ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, ऑक्साइड आदि संबद्ध शब्द बना सकते हैं। इस दृष्टि से शब्द निर्माण में कोई पूर्वग्रहन रखकर प्रयोक्ता और अन्य लोगों की व्यावहारिक सुविधा को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

19.7 शब्द रचना

इस भाग में हम शब्दों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं -

मूल शब्द : वे शब्द जिन्हें हम और छोटे रूपों या खंडों में बाँट नहीं सकते। जैसे - घर, आँख, देश, काम, जल, प्रेम, शब्द, पास, दौड़, पहुँच, चाल आदि।

व्युत्पन्न शब्द : वे शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं।

i) प्रत्ययों के अर्थ मूल शब्द के अर्थ में विस्तार करते हैं।

उपसर्ग :	दिन	सु 'अच्छा'	सुदिन - अच्छा दिन
	चैन	बे 'बिना'	बेचैन - चैन रौहत
प्रत्यय :	एक	ता 'भाव'	एकता - एक होने का भाव
	नया	पन 'अवस्था या स्थिति'	नयापन - नया होने की स्थिति

इस संदर्भ में हम आगे कुछ उपसर्गों की चर्चा करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग : **अति** (अधिक) - अतिवृष्टि, **अधि** (ऊपर) - अधिकार, **अनु** (पीछे) - अनुगमन, **अप** (बुरा) - अपयश, **अव** (बुरा) - अवगुण, **अभि** (अधिक) - अभिनव, **आ** (अपनी तरफ) - आगमन, **उत** (ऊपर) - उत्क्षेप, **दुः** (बुरा) - दुर्दिन, **निः** (बिना) - निर्भय, **परा** (उलटा) - पराजय, **परि** (चारों ओर का) - परिपूर्ण, **प्रति** (उलटा) - प्रतिपक्ष, **प्र** (अधिक आगे) - प्रगति, **वि** (विशिष्ट) - विज्ञान, **सं** (अच्छा) - संयोग, **सु** (अच्छा) - सुपुत्र, **कु** (बुरा) - कुपुत्र। कुछ शब्द भी उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हैं। उदाहरण के लिए - **अधः** (अधोगति), **अलम्** (अलंकार), **चिर** (चिरकाल), **पुरा** (पुरातत्व), **पुनः** (पुनर्जन्म), **सह** (सहगामी), **स्व** (स्वजन) आदि।

अरबी-फ़ारसी के उपसर्ग : ना = नहीं (नापसंद) **ला** = नहीं (लाचार), **बे** = नहीं (बेचारा), **ब** = सहित (बखूबी), **बे** = बिना (बेमिसाल)। कुछ शब्द भी उपसर्गों की तरह आते हैं। जैसे, **कम** (कम उम्र), **हर** (हरदम), **हम** (हम उम्र), **बद** (बदनाम)। फ़ारसी 'परसर्ग' भी शब्द से पहले आते हैं। **ता** (तक) - **ताज़िंदगी** (जिंदगी तक), **दर** (में) - दरअसल (असल में), **बा** (से) - बाकायदा (कायदे से)।

हिंदी में अपने उपसर्गों का पर्याप्त अभाव है। संस्कृत के उपसर्ग ही मूल रूप में या (बदले हुए) तद्भव रूप में हिंदी के शब्दों में आते हैं। जैसे निडर, कुपूत या कपूत, अनजान, अथाह। हिंदी में विशेषण शब्द के पहले आते हैं। इनके अधूरे रूप उपसर्ग की तरह लगते हैं - चौराहा, तिगुना, दुनाली, अधमरा, सतलड़ा, नौगाँव आदि। शब्दांत प्रत्यय कई हैं, हमने इकाई 5 तथा 7 में संस्कृत के प्रत्यय ता, त्व, इत, इक आदि से शब्दों की रचना पर विचार कर लिया है। अन्य संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी के प्रत्ययों की सूची आप हिंदी के किसी व्याकरण ग्रंथ में देख सकते हैं और उनसे बनने वाले हजारों की रचना के विषय में जान सकते हैं। यहाँ हम प्रत्ययों के अर्थ पक्ष की चर्चा करेंगे।

कर्त्ता सूचक प्रत्यय : आर (सुनार, लुहार) , **एरा** (सपेरा, लुटेरा), **हारा** (लकड़हारा, मछुआरा), **बाज़** (कलाबाज, धोखेबाज़), **गर** (जादूगर, कारीगर), **वाला** (मछलीवाला, केलेवाला), **अक** (पाठक, गायक, मारक), **इया** (रसोइया)।

भाववाचक प्रत्यय : (संज्ञा या विशेषण से) : **ई** (लंबाई, मिठाई, कलाबाजी, जादूगरी), **पा** (बुढ़ापा, मुटापा), **आहट** (घबराहट, चिकनाहट)।

विशेषणसूचक प्रत्यय : दार (मालदार, असरदार), **कर** (भयंकर), **कारी** (आज्ञाकारी), **द** (दुखद, सुखद), **दायी** (दुखदायी), **नाक** (शर्मनाक, खौफनाक), **देह** (तकलीफदेह)।

लघुतासूचक प्रत्यय : डिब्बा-डिबिया, बेटी-बिटिया, खाट-खटिया, कटोरा-कटोरी, पहाड़-पहाड़ी, नद-नदी।

लिंगसूचक प्रत्यय : ई (केलेवाली, चाची), **इन** (सुनारिन, मछुआरिन), **नी** (हथिनी, जादूगरनी, शेरनी), **इका** (अध्यापिका, गायिका, बालिका), **वती / मती** (सत्यवती, श्रीमती)।

ii) व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार वह है, जिसमें दो शब्द मिलते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द की संज्ञा दी जाती है। शब्द-निर्माण में प्रत्ययों की भांति ही समास रचना का भी विशेष महत्व है। हम यहाँ समास के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाएँगे, क्योंकि यह अपने-आप में बड़ा विषय है। यहाँ केवल तीन प्रमुख समासों की चर्चा की जाएगी।

तत्पुरुष समाज : इस समास में दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है। उस कारक-संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट भी किया जा सकता है। उदाहरण :

समास	**विस्तृत पदबंध**
राजपुत्र	राजा का पुत्र
गृहप्रवेश	गृह में प्रवेश
देशभक्ति	देश के प्रति भक्ति
शत्रुहंता	शत्रु को मारनेवाला

द्वंद्व समास : इस समास में दो ऐसे शब्द साथ आते हैं, जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्दों के बीच 'और' या 'या' का अर्थ छिपा होता है। उदाहरण -

समास	**अर्थ विस्तार**
माता-पिता	माता और पिता (अर्थात् माँ-बाप)

गाय-बैल	गाय और बैल (अर्थात् सभी जानवर)
पाप-पुण्य	पाप या पुण्य
हार-जीत	हार या जीत

बहुव्रीहि समास : इस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं।

समास	विग्रह	इंगित अर्थ
पीतांबर	पीत (पीला + अंबर) (वस्त्र)	वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों
वीणापाणि	वीणा + पाणि (हाथ)	वह व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा हो
जितेंद्रिय	जित + (जीती गयी) + इंद्रियाँ	वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो
चंद्रवदन	चंद्र + वदन (चेहरा)	वह व्यक्ति जिसका मुख चाँद के समान हो आदि।

प्रतिबिंबित शब्द (echo words) : मान लीजिए बस में एक सहयात्री घबराकर जेब टटोल रहा है। हम उससे पूछेंगे - क्या पैसे-वैसे खो गए? यहाँ 'वैसें' का कोई अर्थ नहीं है, न ही हम सिर्फ 'पैसे' की ही बात कर रहे हैं। यहाँ 'पैसे या इसी तरह की कोई चीज' हमारा अभीष्ट उद्देश्य है। जबकि तनख्वाह लेकर आने वाले से हमारा प्रश्न होगा 'कितने पैसे मिले?' यहाँ 'पैसे-वैसे' का प्रयोग उचित नहीं है। ऐसे शब्दों को हम प्रतिबिंबित शब्द कहते हैं। प्रतिबिंबित शब्द पहले शब्द के अर्थ के संदर्भ में अन्य समान अर्थों का भी समावेश करता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए :

वह कोई काम-वाम नहीं करता (नौकरी, अपना धंधा आदि)

तुम्हें घर-वर मिला कि नहीं (रहने का कोई स्थान)

पुनरुक्त शब्दों की रचना सरल है। इसमें सिर्फ पहला शब्द सार्थक होता है, दूसरा ध्वनि प्रतिबिंब। मूल शब्द के पहले व्यंजन की जगह 'व' रख दीजिए। (पान-वान, दिन-विन)। पहले स्वर हो, तो दूसरे में 'व' जोड़ लीजिए, (आना-वाना, कहीं-कहीं 'ब' - आन-बान)। पहले शब्द में स्वर उ या ऊ हो तो दूसरे शब्द में 'व' न जोड़ें (रुचि-उचि, फूल-ऊल)।

दूसरे प्रकार के पुनरुक्त शब्द वे हैं, जिनमें कहीं दूसरा शब्द 'आ' से बनता है (पी-पाकर, देख-दाखकर, सोच-साचकर, मोड़-माड़कर, बोलबाला) तो कहीं दूसरा शब्द 'ऊ' से बनता है। मार-मूरकर, काट-कूटकर, बाँध-बूँधकर। आपने देखा होगा कि ये सारे क्रिया के शब्द हैं। ऐसी अन्य शब्द रचनाओं के उदाहरण आप स्वयं ढूँढ सकते हैं।

समास की रचना की चर्चा के बाद हम शब्द रचना के संदर्भ में कुछ अन्य प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे।

पुनरुक्त शब्द : यह द्वंद्व समास की तरह दो शब्दों के योग से बनता है। लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। इन शब्दों का वाक्य में अपना विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। कुछ उदाहरण देखिए -

गाँव-गाँव में	अर्थात्	हर गाँव में या सभी गाँवों में
प -पल	अर्थात्	हर पल, हमेशा
रो-रोकर	अर्थात्	बहुत रोकर
मीठी-मीठी बातें	अर्थात्	बहुत-सी मीठी बातें

चूँकि इन शब्दों में एक ही शब्द दो बार बोला जाता है, इसे कुछ व्याकरण द्विरुक्त (दो बार कहा गया) शब्द भी कहते हैं।

ध्वन्यार्थ व्यंजक (Anomatopoeic) **शब्द :** हिंदी में कुछ ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्दों का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के शब्दों का अलग से कोई अर्थ न होकर उनकी ध्वनियाँ ही उनके अर्थ को व्यंजित करती हैं। उदाहरण के लिए— गड़गड़ाना, खनखनाना, खड़खड़ाना, घड़घड़ाना, टपटप, खटपट, हरहराना आदि शब्दों को लिया जा सकता है। इन शब्दों की उच्चारण ध्वनि ही इनके अर्थ हैं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में विम्बात्मकता और जीवंतता का संचार होता है। इसे समझने के लिए पंत की कविता का एक उदाहरण काफी सार्थक होगा— 'हैं चहक रही चिड़ियाँ टी-बी-टी-टुट-टुट' यहाँ 'टी बी टी - टुट टुट' ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द हैं, जो शैली के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक हैं।

अनुकरणात्मक शब्द : इस प्रकार से निर्मित शब्दों का आधार अनुकरण होता है। जैसे चम से चमचमाना, चमाचम और चिप से चिपचिपा, चिपचिपाहट आदि। इस प्रकार के शब्दों का संबंध ध्वनि से न होकर प्रकाश और स्पर्श से है। अनुकरणात्मक शब्दों का एक दूसरा भी रूप है, जिसमें दोनों शब्द निरर्थक होकर भी एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे, झिलमिल, खलबली, सुगबुगाहट, तामझाम आदि।

अभ्यास– 6

निम्नलिखित उपसर्गों से आगे इनसे बनने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से कुछ शब्द इन उपसर्गों से नहीं बने हैं। उपसर्गों से बनने वाले सही शब्द पर (√) चिह्न लगाइए।

1) अ अधिक, अहंकार, अनाथ, अकारण

2) वि विकार, विपरीत, विश्व, विद्या

3) सु सुखद, सुगम, सुरुचि, सुरीला

4) अनु अनुदार, अनुशासन, अनुकरण, अनुपयोगी

5) ना नासिर, नाहक, नामक, नापसंद

6) बे बेहद, बेहतर, बेसुरा, बेदर्द

बोध प्रश्न– 2

निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम आगे दिए गए कोष्ठकों में लिखें—

1.	अन्नदान ( )	2.	वनवास	( )
3.	धर्माधर्म ( )	4.	विद्यासागर	( )
5.	कामचोरी ( )	6.	शक्तिहीन	( )
7.	सभाभवन ( )	8.	नीलकंठ	( )
9.	शांतिप्रिय ( )	10.	धनुर्बाण	( )

19.8 मुहावरे और लोकोक्तियाँ

इसी इकाई में अनेकार्थी शब्दों के प्रसंग में हमने मुहावरेदार प्रयोगों की चर्चा की थी। 'कानून के हाथ' में हम शरीर के एक अंग को कानून के संदर्भ में देखते हैं, जबकि 'कानून' निर्जीव व्यवस्था है, जिसका हाथ नहीं हो सकता। इसलिए इसे मुहावरेदार शब्द कहते हैं। मुहावरा इससे भिन्न है। हाथ डालना, हाथ खींच लेना, हाथ मारना आदि कुछ सामान्य शारीरिक व्यापार हैं ' ' पानी में हाथ डालना, जेब में से हाथ बाहर खींच लेना, किसी को हाथ से मारना ...(द)। इन शब्दों के इस अर्थ को हम अभिधा का अर्थ याने सामान्य अर्थ कह सक... हैं। लेकिन ये तीनों प्रयोग मुहावरे के रूप में आते हैं, जहाँ इनका

काम में हाथ डालना (काम शुरू करना)

किसी काम में से हाथ खींच लेना (मदद न करना)

हाथ मारना (धोखाधड़ी से पैसे बनाना)

इस अर्थ को हम लक्षणा का अर्थ यानी लक्ष्यार्थ कहते हैं। अतः अभिधेयार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ को संकेतित करने वाले भाषा के प्रयोग मुहावरे कहलाते हैं।

कई मुहावरों में अभिधा का अर्थ (अभिधेयार्थ) स्पष्ट नहीं होता या असंगत लगता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं— कमर कसना, सर फोड़ना, दाँत खट्टे करना, थूककर चाटना, आँखें दिखाना आदि।

व्यक्ति मुहावरों की सृष्टि नहीं कर सकता। हम मुहावरों को भाषा के अन्य शब्दों की तरह समाज से अर्जित करते हैं। इनके अर्थ की सूक्ष्मता को भी हमें सीखना पड़ता है। 'लाल-पीला होना' अधिक क्रोध का अर्थ देता है, 'माथे पर बल पड़ना' कम क्रोध का अर्थ देता है। हमें इन सूक्ष्म अर्थ संकेतों को अच्छी तरह समझ कर ही इन मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए।

मुहावरे वाक्यांश होते हैं (विशेषण युक्त संज्ञा या क्रिया) जबकि लोकोक्ति पूर्ण कथन के रूप में एक वाक्य के समान होती है। लोकोक्ति एक ऐसा वाक्य या उक्ति है, जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रसंग पर लागू किया जा सकता है। मान लें कि एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं जानता, लेकिन अपनी अक्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है। तब हम कहेंगे— 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा।' इस कहावत में एक समान स्थिति की व्यंजना है। ठीक से नाच न सकने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि आँगन के टेढ़े होने की बात कहता है। इस तरह लोकोक्ति का अर्थ अधिकतर व्यंजनार्थ होता है (छिपा हुआ अर्थ)।

लोकोक्तियों में हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता और अनुभव की गहराई को देखते हैं। बिना पेंदी का लोटा (जो किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है), दीपक तले अँधेरा (ज्ञान के साथ छिपा अज्ञान) आदि भाषा समुदाय के अनुभव के निचोड़ हैं।

मुहावरों और लोकोक्तियों के भाषा में प्रयोग संबंधी अंतर को अच्छी तरह समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। मुहावरे वक्ता या लेखक के वाक्य का अंग बनकर आते हैं। इसलिए वाक्य-रचना के अनुकूल इनके स्वरूप में कुछ मात्रागत परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण कथन होने के कारण प्रयोगकर्त्ता लोकोक्तियों के मूल रूप को बदल नहीं सकता। अपनी भाषा में इन्हें प्रायः उदाहरण के रूप में या अपनी कही हुई बात की पुष्टि के लिए अलग वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है।

यहाँ हम लोकोक्ति और सूक्ति या सुंदर उक्ति में भी अंतर करना चाहेंगे। लेखक तथा कुशल वक्ता उचित संदर्भ ढूँढ़कर सुंदर व्यंजनार्थ प्रकट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 'महान व्यक्ति मरकर जीता है' या 'कायर सौ बार मरते हैं' तो हम विरोधाभास से महानता या कायरता के अर्थ को व्यंजित करते हैं। कुशल वक्ता ऐसी उक्तियों से अपनी भाषा की सुंदरता और प्रभाव क्षमता में वृद्धि करते हैं।

'खुली पुस्तक' व्यंजना है जो व्यक्ति में छल-कपट के अभाव को सूचित करता है। इसी को हम वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं— 'मेरा जीवन खुली पुस्तक के समान है।' ऐसी उक्तियों का प्रयोग हम रोज अपनी भाषा में करते हैं। 'बिना तेल की गाड़ी', 'राकेट के समान गति', 'टूटी हुई टहनी', 'पहली तारीख का इंतजार' आदि उक्तियों में हम अपने अनुभव के आधार पर नई व्यंजना लाते हैं। ऐसी उक्तियाँ जब रूढ़ हो जाती हैं, तो उन्हें लोकोक्ति का दर्जा मिलता है। ऐसी कई सुंदर उक्तियाँ साहित्यिक कृतियों में, वक्ताओं की वाणी में हमें देखने को मिलती हैं। आप कोशिश करें, तो स्वयं अपनी भाषा में ऐसी उक्तियों

अभ्यास– 7

आगे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और सामने उनके अर्थ का संकेत किया गया है। इनका वाक्यों में उचित ढंग से प्रयोग कीजिए।

(मामला) खटाई में पढ़ना — मामले पर ठीक से कार्रवाई न होना

हाथ-पाँव फूलना — कार्य पूरा न होने की स्थिति में घबराहट होना

घड़ों पानी पड़ जाना — गलती के कारण शर्मिन्दा होना

अपने पैरों पर खड़ा होना — अपने ऊपर निर्भर होना

कान खड़े होना — अपने खिलाफ होने वाली बात के संदर्भ में चौकन्ना होना

मन में लड्डू फूटना — बहुत अधिक खुश होना

अभ्यास– 8

नीचे पाँच कहावतों का अर्थ समझाया गया है और बाद में पाँच प्रसंग समझाए गए हैं, जिनमें इन कहावतों का प्रयोग किया जा सकता है। उचित कहावत का प्रयोग कर प्रसंग पूरा कीजिए।

क) आम के आम गुठलियों के दाम — एक कार्य से दो लाभ

ख) जिसकी लाठी उसकी भैंस — अन्याय और बल से जीतना

ग) दूर के ढोल सुहावने — दूर से सब चीजें अच्छी लगती हैं, पास आने पर वास्तविकता मालूम होती है।

घ) नौ दिन चले अढ़ाई कोस - सुस्ती के कारण धीरे-धीरे काम करना

ङ) होनहार बिरवान के होत चीकने पात — बचपन से ही बड़प्पन का संकेत मिलना

1) उस आदमी की अमीरी की बहुत बात सुनी थी। निकट से देखने पर ही मालूम हुआ कि.....

.....

2) बड़ा होशियार बच्चा था। बहुत थोड़े समय में ही उसने धनुर्विद्या सीख ली। ठीक ही कहा गया है .....

.....

3) राज्य में बड़ी अराजकता थी और गरीबों की सुननेवाला कोई न था।.....
..... वाली कहावत उस पर चरितार्थ होती है।

4) तुम इस गति से कभी आगे नहीं बढ़ सकते।.....
.....। इस तरह कभी काम पूरा नहीं कर सकते।

5) साहब, हिचकिए मत, ले लीजिए।.....आपको सस्ते में घड़ी ही नहीं मिल रही है, साथ में पाँच साल की गारंटी भी है।

मुहावरे और कहावतें : अर्थ और रचना

आप यह जानना चाहेंगे कि हम शब्दावली की इकाई में मुहावरों और कहावतों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ कारण हैं। हमने शब्दों के बारे में यह बताया है कि भाषा-भाषी समुदाय इनकी सृष्टि करता है। व्यक्ति अपनी तरफ से नए शब्द नहीं बना सकता। यह बात मुहावरों और कहावतों पर भी लागू होती है। शब्दों के बारे में हमने चर्चा की है कि इनका

अर्थ यादृच्छिक होता है। इसी तरह मुहावरों में भी अर्थ पूर्व निश्चित होता है। 'लाल-पीला होना' का अर्थ 'क्रोध करना' है। हम चाहें तो भी दूसरे अर्थों में (ईर्ष्या करना, शर्मिंदा होना आदि) इसका प्रयोग नहीं कर सकते। 'एक अनार सौ बीमार' का अर्थ है, एक वस्तु के लिए कई लोगों का आकांक्षी होना। हम इसका प्रयोग 'ईलाज के लिए उपायुक्त वस्तु' के अर्थ में करना चाहें, तो यह संभव नहीं है।

शब्दों की रचना सुनिश्चित होती है। जिस तरह हम शब्दों की रचना में परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे ही मुहावरों और कहावतों की रचना में भी मनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकते। 'लाल-पीला होना' का रूप 'पीला-लाल होना' नहीं हो सकता। वक्ता या लेखक द्वारा निर्मित वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण मुहावरों के लिए प्रयुक्त क्रिया में थोड़ा परिवर्तन संभव है। 'काम बिगड़ना' को पर्याय का उपयोग करते हुए 'कार्य बिगड़ना' नहीं कर सकते। कहावतों में शब्द क्रम नहीं बदला जा सकता, विस्तार या संक्षेपण नहीं किया जा सकता। 'कोयले की दलाली में हाथ काला' को 'कोयले की दलाली में काला हाथ' नहीं कह सकते या 'कोयले की दलाली में हाथ काला हो जाता है' नहीं कह सकते।

अभ्यास– 9

क) निम्नलिखित मुहावरों को सही रूप में लिखिए। आवश्यकता पड़े तो शब्दकोश देखिए। उनका अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

आड़े हाथ से लेना.....

ईद का चाँद होना.....

नौ दो ग्यारह होना.....

बात का बतंगड़ बनाना .....

गुस्सा गटक जाना.....

छाती पर मूँग दलना .....

बिस्तर पकड़ लेना (बीमार होना) .....

डींग मारना.....

ख) निम्नलिखित कहावतों को सही शब्दावली तथा क्रम में लिखिए। जहाँ आवश्यकता हो, शब्दकोश देखिए।

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।.....

खोदा पहाड़ निकला चूहा .....

होनहार बिरवान के होत चिकने पात .....

जितनी बड़ी दुकान उतने फीके पकवान।.....

अंधे को तो दो आँखें चाहिए। .....

19.9 सारांश

इस इकाई में हमने भाषा की शब्दावली की रचना और उसके अर्थ पक्ष के बारे में अध्ययन किया।

भाषा की शब्दावली कैसे बनती है ? कुछ शब्द भाषा के अपने होते हैं, कुछ शब्द अन्य स्रोतों से आते हैं, कुछ शब्द भाषा में आवश्यकतानुसार बना लिए जाते हैं। इस इकाई में हमने हिंदी

की शब्दावली के इन तीनों पहलुओं की चर्चा की। स्रोतगत विश्लेषण में हमने हिंदी शब्दावली के स्रोतों की चर्चा की और बाद में हिंदी में शब्द बनाने की चर्चा की और धातु तथा प्रत्ययों का परिचय प्राप्त किया। इसी संदर्भ में यह भी देखा कि शब्द की अपनी रचना कैसे होती है। शब्द रचना के संदर्भ में ही हमने तीन प्रमुख समासों की रचना का विश्लेषण किया। ये हैं : तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। प्रत्यय और समास के साथ ही हमने पुनःरुक्त, ध्वन्यार्थ व्यंजक और अनुकरणात्मक शब्दों की स्थिति पर भी विचार किया। इससे आप अपनी बोलचाल की भाषा और लेखन शैली को प्रभावशाली बनाने में समर्थ हो सकेंगे।

शब्द के अर्थ पक्ष के संदर्भ में आपने शब्दों के सामाजिक स्तर भेद का परिचय प्राप्त किया और शब्द और अर्थ के संबंधों में पर्याय, विलोम आदि संकल्पनाओं का अध्ययन किया। अंत में भाषा के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के अर्थों के विश्लेषण के साथ मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना सीखा।

19.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) **अच्छी हिन्दी** - रामचंद्र वर्मा, इलाहाबाद

2) **आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना** - वासुदेवनंदन प्रसाद, भारती भवन, पटना

3) **प्रयोग और प्रयोग** - वी.रा.जगन्नाथन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली

4) **हिंदी भाषा का इतिहास** - धीरेन्द्र वर्मा, किताब महल, इलाहाबाद

19.11 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न– 1

1) ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है।

2) समाज में विभिन्न वर्गों, पेशों, व्यवसायों के लोगों की अपनी अलग-अलग भाषा होती है। जैसे व्यापारियों की भाषा, कक्षा अध्यापक की भाषा आदि। इसी प्रकार औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, अनपढ़ की भाषा, पढ़े-लिखे लोगों की भाषा। इस प्रकार सामाजिक स्तर भेद से भाषा के कई रूप हो जाते हैं।

बोध प्रश्न– 2

1. तत्पुरुष	2. तत्पुरुष	3. द्वंद्व	4. तत्पुरुष	5. तत्पुरुष
6. तत्पुरुष	7. तत्पुरुष	8. बहुव्रीहि	9. तत्पुरुष	10. द्वंद्व

अभ्यास– 2

अग्नि, अष्ट, वार्ता, स्वर्ण, जगत, क्षेत्र, लोक, जिह्वा, वृद्ध, दुग्ध

अभ्यास– 6

अधिक, अहंकार, विपरीत, विश्व, विद्या, सुखद, सुरीला, अनुदार, अनुपयोगी, नासिर, नामक, बेहतर में उपसर्ग नहीं।

अभ्यास– 8

1. ग, 2. ङ, 3. ख, 4. घ, 5. क